सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 134/2017 अपील (RCMS/2017/00055)
पंजीयन दिनांक – 03.10.2017
निर्णय दिनांक – 30.10.2018

1. श्री राम लाल मेनारिया पिता श्री ऊंकार लाल मेनारिया, निवासी ग्राम मौझा ईटाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. श्री दीपचन्द मेनारिया पिता श्री ऊंकार लाल मेनारिया, निवासी ग्राम मौझा ईटाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

–अपीलान्टस्

बनाम

1. श्री प्रभुलाल मेनारिया पिता श्री ऊंकार लाल मेनारिया, निवासी ग्राम मौझा ईटाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–
1. श्री रजत मेहता – वकील अपीलान्ट
2. श्री एस.के.त्रिपाठी – वकील रेस्पोडेंट–1

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार, मावली, प्रकरण संख्या 12/2016 दिनांक 20.05.2017

निर्णय

दिनांक 30.10.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार, मावली, प्रकरण संख्या 12/2016 दिनांक 20.05.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने बाबत प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली द्वारा दर्ज किया गया था। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार अपीलांट ने निवेदन किया कि उनकी माता राधीबाई पत्नि श्री ऊंकार लाल मेनारिया की दिनांक 19.09.2005 को मृत्यु हो चुकी है जिसकी खातेदारी की कृषि भुमि मौजा ईण्टाली एवं चायलाखेड़ा पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली में कृषि भुमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त खातेदारी की कृषि भूमि राधी बाई ने जरीये वसीयत दिनांक 05.08.2004 अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित किया। वसीयत अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित होने से अपील में अंकित आराजीयात का कब्जा आरम्भ से अपीलान्ट के पास चला आ रहा है। अपीलान्ट ने उक्त वसीयत दिनांक 05.08.2004 के आधार पर कृषि भूमि को नामान्तरकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। राजस्व लोक अदालत अभियान–2017 न्याय आपके द्वार केम्प स्थल ईण्टाली में प्रार्थी के अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर प्रस्तुत नामान्तरकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.05.2017 से अस्वीकार किया गया, जिससे व्यथीत होकर उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित जिनकी बहस दिनांक 10.07.2018 एवं 23.10.2018 को सूनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट की माता के द्वारा रामलाल मेनारिया, दीपचन्द मेनारिया के पक्ष में वसीयत निष्पादित की, उस वसीयत में अपीलान्ट की माता राधी बाई ने स्पष्ट अंकित किया कि मेरे नाम की मौजा ईण्टाली तहसील मावली मे जो कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, वह मैं अपने दोनों पुत्र रामलाल व दीपचन्द मेनारिया के पक्ष में वसीयत लिख निष्पादित करती हूँ। साथ ही वसीयत की वैधता हेतु वसीयत के दोनों गवाहों ने वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर को प्रमाणन करते हुए गवाह के रूप में अपने हस्ताक्षर किये है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय में वसीयत के प्रमाण हेतु वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर को अधिप्रमाणन करने वाले गवाहन श्री मांगीलाल एवं चंपालाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिसमें भी दोनों गवाहन ने वसीयत दोनों पुत्र के पक्ष में निष्पादित करने के बयान दिये है। हिन्दु विधि के अनुसार भी यदि वसीयत की जांच करने के लिये उसमें हस्ताक्षर का अधिप्रमाणन करने वाले दो गवाहों में से एक गवाह बयान देता है, तो वसीयत वैध मानी जाती है। वसीयत अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित होने से अपील में अंकित आराजीयात का कब्जा आरम्भ से अपीलान्ट के पास चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को समझे

बिना, पत्रावली पूर्ण अवलोकन किये बिना ही आदेश देने में भारी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अपीलान्ट ने आदेश की प्रमाणित प्रति निर्णय की जानकारी होते ही दिनांक 13.06.2017 को प्राप्त की लेकिन अधिवक्ता से संपर्क नहीं होने के कारण अपील माननीय न्यायालय में 12 दिन विलम्ब से प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट–1 ने अपनी बहस में बताया कि हमारी माता राधी बाई ने कोई वसीयत का निष्पादन नहीं किया तथाकथित वसीयत दिनांक 05.08.2004 को फर्जी, कुटरचित, अनरजिस्टर्ड, सन्देहास्पद, अवैधानिक एवं आधारहीन होकर अस्वीकार योग्य है तथा कृषि आराजीयात स्व. राधीबाई की स्वअर्जित भूमि होकर पैतृक भूमि है। कथित वसीयत दिनांक 05.08.2004 राधी बाई की मृत्य दिनांक 19.09.2005 का लगभग 11 वर्षों तक प्रकटन नहीं किया। अपील मनगढत व मिथ्या कथनों के अंकन केवल मात्र लोभ लालच के वशीभूत होकर नाजायज हक कायम करने के लिये रेस्पोडेंट–1 को परेशान व सम्पत्ति से बेदखल करने की नियत से प्रस्तुत की गई है, अपीलान्ट के कथनों एवं शपथ पत्रों को सारहीन मान अधीनस्थ न्यायालय ने उसके प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है। ना ही कभी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने कभी हक त्याग किया है जिससे हक त्याग पत्र दिनांक 21.04.2001 कपट व धोखे से रचित झूठा एवं अनस्टांप, अनरजिस्टर्ड विलेख तैयार किया गया ऐसे तथाकथित हक विलेख को कही पर भी महत्व नहीं दिया जा सकता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 आज भी अपने हक व हिस्से पर तन्हा स्वामी काबिज होकर काश्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अस्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखने का अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेखों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित कृषि आराजीयात स्व. राधीबाई की पैतृक भूमि/सम्पत्ति है। वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 ने कथन किया कि तथाकथित वसीयत दिनांक 05.08.2004 को फर्जी, कुटरचित, अनरजिस्टर्ड, सन्देहास्पद, अवैधानिक एवं आधारहीन होकर अस्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख अनुसार उक्त वसीयत अनरजिस्टर्ड है। वकील रेस्पोडेंट–1 द्वारा कथन किया गया कि नामान्तकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसेडिंग है। नामान्तकरण कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है ना ही उत्तराधिकार का कठिन विवाद्यक वसीयत या गोद नामान्तरकरण की

कार्यवाही में निश्चय किया जा सकता है और पक्षकारों को स्वामित्व स्थापित करने हेतु उचित संस्थान में जाना होगा। तथाकथित वसीयत की वैधता के संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष देना राजस्व न्यायालय के लिए नामान्तकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में संभव नहीं है। मृतक खातेदार के वारिसान को छोड़कर ऐसी विवादित वसीयत के आधार पर नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वकील रेस्पोडेंट–1 के उक्त कथनों, अनरजिस्टर्ड वसीयत एवं प्रस्तुत दस्तावेजों पर पूर्ण विवेचन कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली द्वारा अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 20.05.2017 से अस्वीकार किया गया।

उपरोक्त विवेचन से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली द्वारा प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली का निर्णय दिनांक 20.05.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर